[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 16/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 03 मार्च, 2017

सा.का.नि. (अ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, कूरियर आयात एवं निर्यात (क्लियरेंस) विनियम, 1998 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. (1) इन विनियमों को कूरियर आयात एवं निर्यात (क्लियरेंस) संशोधन विनियम, 2017 कहा जाएगा।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कूरियर आयात एवं निर्यात (क्लियरेंस) विनियम, 1998, में उप-विनियम (3) में, पहले परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

''बशर्ते कि विदेश व्यापार नीति (2015-20) के अनुबंध 3ग में विनिर्दिष्ट वस्तुओं और अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं, जो कि विनियम, 2 के उप-विनियम (2) के उपवाक्य (ड.) के अंतर्गत नहीं आती हैं, जहांकि खेप का मूल्य 25 हजार रूपये तक होता हो और ऐसा संव्यवहार विदेशी मुद्रा में होता हो, से संबंधित प्रविष्टि कूरियर शिपिंग बिल सीएसबी-V फॉर्म में की जानी होगी।''

[फा.सं. 450/04/2013-सीमा शुल्क-IV]

(जुबेर रियाज)

निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : प्रधान विनियम अधिसूचना सं. 87/98-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 09 नवम्बर, 1998, सा.का.नि. 662 (अ), दिनांक 09 नवम्बर, 1998 के तहत प्रकाशित किये गये थे और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 142/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 29 नवम्बर, 2016, सा.का.नि. 1099 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के द्वारा संशोधन किया गया है।